



ACTION RESEARCH &
RESOURCE CENTRE

गाइडबुक

SR



**YOUR VOTE
MATTERS**

श्रेय

गाइडबुक के बारे में

घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को 'एस.आई.आर' (SIR) का फॉर्म भरने में मदद करने के दौरान जो हमारा अनुभव रहा, उसी के आधार पर यह गाइड बनाई गई है। इसमें आवेदन की पूरी प्रक्रिया को आसान स्टेप्स (steps) में समझाया गया है। साथ ही, फॉर्म भरते समय जो आम दिक्कतें आती हैं और उनसे आसानी से कैसे निपटना है, उसके कारगर तरीके भी बताए गए हैं।

डिजाइन और लेआउट: कवि गंगार

रिसर्च, संकलन और ड्राफ्टिंग: ऋषभ आर्य, कवि गंगार

प्रकाशक: अक्टूबर 2026 में पार्ट 3 फाउंडेशन, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित

© पार्ट 3: एक्शन रिसर्च एंड रिसोर्स सेंटर, पार्ट 3 फाउंडेशन का ही एक कार्यक्रम है। यह बुकलेट पार्ट 3: एक्शन रिसर्च एंड रिसोर्स सेंटर की संपत्ति है। व्यावसायिक इस्तेमाल को छोड़कर, कोई भी व्यक्ति इस बुकलेट के किसी भी हिस्से को आसानी से शेयर कर सकता है, पढ़ सकता है, इस्तेमाल कर सकता है या इस पर आगे काम कर सकता है। अगर आप अपने काम में हमारे प्रयास का हवाला देते हैं, तो हमें बेहद खुशी होगी। यह बुकलेट पार्ट 3 टीम के मिले-जुले प्रयासों का नतीजा है। हमें आपकी राय और सुझावों का इंतज़ार रहेगा।

आप अपने सभी पत्र या सुझाव इस पते पर भेज सकते हैं: P-60, ग्राउंड फ्लोर, ब्लॉक-P, चित्तरंजन पार्क, नई दिल्ली – 110019

हमें फीडबैक यहाँ भेजें: contact@part-three.org

Content

SIR क्या है और यह क्यों ज़रूरी है?	01
SIR की पूरी प्रक्रिया: सभी चरण	02
दिल्ली निवासियों के लिए मुख्य तारीखें (2026)	04
पात्रता (योग्यता)	05
मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए प्रपत्र - ऑफलाइन	07
मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए प्रपत्र - ऑनलाइन	11
ड्राफ्ट लिस्ट और नोटिस लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक करें	12
सही फॉर्म का चुनाव करना	15
फॉर्म 6 की अहमियत और ज़रूरी कागजात (Documents)	16
दावे, एतराज (Objections) और अपील करने का तरीका	17
शिकायत या मदद के लिए हेल्पलाइन और पोर्टल	23
जिनके पास डिजिटल/इंटरनेट की सुविधा नहीं है	23
EPIC डिटेल्स और BLO/ERO के संपर्क नंबर कैसे ढूँढ़ें	24

SIR क्या है और यह क्यों ज़रूरी है?

स्पेशल इंटेन्सिव रिवीजन (SIR) भारत के चुनाव आयोग (ECI) की तरफ से चलाई जाने वाली एक प्रक्रिया है, जिसका मकसद वोटर लिस्ट को दोबारा चेक करना और उसे अपडेट करना है। इस प्रक्रिया के तहत, बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) या तो आपके घर आता है और आपकी सीधे मदद करता है, या फिर आप यह वेरिफिकेशन ऑनलाइन भी पूरा कर सकते हैं। दिल्ली में आखरी बार SIR साल 2002 में हुआ था, और अब यह प्रक्रिया 2026 में फिर से चल रही है। SIR का मुख्य मकसद वोटर लिस्ट को एकदम सही रखना है—ताकि नकली या दोहराए गए नाम, गैर-नागरिक, जिनकी मौत हो चुकी है और जो लोग हमेशा के लिए दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं, उनके नाम लिस्ट से हटाए जा सकें।

मतदाता सूची / गणना प्रपत्र का मुख्य रोल

मतदाता सूची / गणना प्रपत्र (Enumeration Form) इस SIR प्रक्रिया का सबसे अहम हिस्सा है। यह वह मुख्य दस्तावेज़ है जिसके ज़रिए हर पुराने और नए वोटर की जानकारी को दोबारा जांचा जाता है, ताकि नई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट तैयार की जा सके:

- **पुष्टि का आधार (Basis of Confirmation):** यह इस बात को पक्का करता है कि वोटर जीवित है, दिए गए पते पर ही रहता है और उसकी निजी जानकारी सही-सही दर्ज है। इस फॉर्म को भरे बिना, फाइनल वोटर लिस्ट में नाम शामिल होने की कोई गारंटी नहीं होती।
- **गलत नामों की छंटनी (Filtering Invalid Entries):** अगर फॉर्म जमा नहीं होता है या BLO इस बात की पुष्टि कर देता है कि वोटर अब उस पते पर नहीं रहता, तो उन नामों पर निशान लगा दिया जाता है ताकि मृत, शिफ्ट हो चुके या दोहराए गए (duplicate) वोटरों को लिस्ट से सुरक्षित तरीके से हटाया जा सके।

SIR की पूरी प्रक्रिया: सभी चरण

A. तैयारी का दौर (Preparation Phase)

ECI की तरफ से SIR के लिए आदेश और शेड्यूल का जारी होना
BLOs, पर्यवेक्षकों (supervisors) और बाकी अफसरों की तैनाती
राजनीतिक दलों (political parties) की तरफ से बूथ लेवल एजेंट (BLAs) की तैनाती
मौजूदा वोटरों की जानकारी वाले मतदाता सूची / गणना प्रपत्र (enumeration forms) की छपाई

B. गिनती का दौर (Enumeration Phase)

BLOs द्वारा घर-घर जाकर एनुमरेशन फॉर्म्स का बांटना
वोटर द्वारा फॉर्म भरना (BLO की मदद से या ऑनलाइन)
फॉर्म जमा करना और रसीद (acknowledgment receipt) हासिल करना
BLOs द्वारा फॉर्म्स का इकट्ठा किया जाना और उन्हें ECINET पर ऑनलाइन दर्ज करना
डाटा को 2002 की वोटर लिस्ट से मिलाना (mapping karna)
गैर-मौजूद (Absentee), शिफ्टेड, मृत (Dead) या दोहराए गए (Duplicate) वोटरों की ASD लिस्ट तैयार करना

C. ड्राफ्ट लिस्ट आने के बाद का दौर

ड्राफ्ट मतदाता सूची (preliminary voter list) का जारी होना
दावे और ऐतराज दर्ज करने का समय (फॉर्म 6, 7 और 8 का इस्तेमाल करके)
जिन वोटर्स की जानकारी में कोई गलती या मैच न होने की समस्या है, उन्हें नोटिस भेजना
सुनवाई (hearings) और कागजातों (documents) की जांच
इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) द्वारा सुनवाई पर ठोस वजह के साथ फैसला देना
अपील करने का तरीका: पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (DM) के पास, फिर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर (CEO) के पास

D. SIR प्रक्रिया का पूरा होना

फाइनल मतदाता सूची (Final Electoral Roll) का जारी होना

दिल्ली निवासियों के लिए मुख्य तारीखें (2026)

शुरुआत और पहला ड्राफ्ट	प्रक्रिया 30 जून 2026 को शुरू हुई, और मतदाता सूची की पहली ड्राफ्ट 31 अगस्त 2026 को जारी की गई।
दावे और ऐतराज दर्ज करने का समय	अपनी जानकारी सही रखने और वोट देने का अधिकार सुरक्षित करने के लिए, आप 30 अक्टूबर 2026 तक अपनी और अपने परिवार की जानकारी जांच सकते हैं।
नोटिस, सुनवाई और निस्तारण	30 नवंबर 2026 तक।
फाइनल मतदाता सूची	4 दिसंबर 2026।

पात्रता / योग्यता

योग्य (Eligible)	योग्य नहीं (Not Eligible)
दिल्ली का कोई भी मौजूदा या नया वोटर जिसकी उम्र 18 साल या उससे ज़्यादा हो।	जिन लोगों के पास कोई भी सही पहचान पत्र (ID proof) या पते का सबूत (residence proof) नहीं है, उन्हें अलग से कदम उठाने होंगे (जैसे कि फॉर्म 6 भरना)।
ऐसे लोग जो 2002 से पहले से दिल्ली में पक्के तौर पर रह रहे हैं (इनके नाम 2002 की लिस्ट में चेक किए जा सकते हैं)।	जिनके नाम न तो 2002 की लिस्ट में हैं और न ही ECI पोर्टल पर, उन्हें फॉर्म 6 का इस्तेमाल करके नए सिरे से रजिस्ट्रेशन करना होगा।
जो लोग 2002 के बाद दिल्ली आए हैं और ECI पोर्टल पर वोटर के तौर पर दर्ज (register) हैं।	—

गणना का दौर (Enumeration Phase)

मतदाता सूची / गणना प्रपत्र - ऑफलाइन

Annexure-III

EnumerationForm

NameandcontactNoofBLO(pre-printed)

Elector's Name, EPIC, Address (Pre-printed).	Serial No., Part No. & name, AC/PCName, State (Pre-printed).	QRCode	Old Photo (Pre-printed)	PasteCurrent Photo
--	--	--------	-------------------------	--------------------

DateofBirth(DD/MM/YYYY)	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y
AadhaarNo.(Optional)								
MobileNo.								
Father's/Guardian's Name								
Father's/Guardian'sEPICNo.(ifavailable)								
Mother'sName								
Mother'sEPICNo.(ifavailable)								
Spouse'sName(ifapplicable)								
Spouse'sEPICNo.(ifavailable)								

DetailsoftheElectorintheElectoralRoll of the last SIR			DetailsoftheRelative,whosenameisgivenin the previous column, in the last SIR		
ElectorName:			Name:		
EPICNo.(ifavailable)			EPICNo.(ifavailable)		
Relative'sName:			Relative'sName:		
Relationship:			Relationship:		
District:			District:		
State:			State:		
ACName:			ACName:		
ACNumber	PartNo.	SrNo.	ACNumber	PartNo.	SrNo.

(i) The elector mentioned above, being myself/my family member, has not acquired the citizenship of any other country.
(ii) I am applying for inclusion in the Electoral Roll, and the name mentioned above, being myself/ my family member, is not included in any other Assembly Constituency/ Parliamentary Constituency.
(iii) I am aware that making the above statement or declaration in relation to this application which is false and which I know or believe to be false or do not believe to be true, is punishable under Section 31 of Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950) with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine or with both.

Signature/LeftThumbImpressionofElectoror AnyAdultFamilyMember(mentionrelationship)withdate

BLO'sundertaking:Ihaveverifiedtheabovedetailsfromtheelectoralroll(s)ofthelastSIR.

BLO'sSignature

प्रोजेनी मैपिंग (progeny mapping) का इस्तेमाल करके अपनी प्रविष्टि (entry) को परिवार के किसी करीबी सदस्य से जोड़ने के लिए ये विवरण भरें

fig. 1

ऑफलाइन मतदाता सूची / गणना प्रपत्र कैसे भरें (BLO के ज़रिए)

1. आपके इलाके के BLO आपके घर मतदाता सूची/गणना प्रपत्र की दो कॉपियाँ लेकर आएंगे।
2. या तो BLO आपके साथ मिलकर यह फॉर्म भरेंगे, या फिर आपको यह फॉर्म भरकर BLO के दफ्तर में जमा करना होगा, या आप फॉर्म भरने में मदद के लिए BLO के दफ्तर भी जा सकते हैं।
3. खुद से फॉर्म भरने के लिए, आपको निम्नलिखित जानकारी अपने पास तैयार रखनी होगी:
 - a. आपका आधार नंबर
 - b. आपके पिता का नाम
 - c. आपके पिता का EPIC नंबर (अगर मौजूद हो)
 - d. आपकी माता का नाम
 - e. आपकी माता का EPIC नंबर (अगर मौजूद हो)
 - f. आपके पति/पत्नी का नाम (अगर लागू हो)
 - g. आपके पति/पत्नी का EPIC नंबर (अगर लागू हो)
 - h. पिछली SIR के मुताबिक आपकी अपनी विधानसभा, पार्ट नंबर और सीरियल नंबर
 - i. आपकी माता, पिता या दादा-दादी/नाना-नानी में से किसी का भी EPIC नंबर, नाम, विधानसभा, पार्ट नंबर और सीरियल नंबर (पिछली SIR के मुताबिक)

(नोट: आप राज्य, ज़िला, विधानसभा और उनका पूरा नाम भरकर वेबसाइट

<https://voters.eci.gov.in/searchinsir/s2ua4dpdf-jk4qwodse> पर पिछली SIR लिस्ट में ऊपर दी गई जानकारी ढूँढ सकते हैं।) इन जानकारीयों को कैसे ढूँढना है, यह समझने के लिए Fig. 2 और 3 देखें।)

[illegible]

fig. 2

**** Note:** The data, language and the Final Electoral Roll of 2002/2003, as the case may be, is published on this website as received from the Office of the Chief Electoral Officer ("CEO") of the concerned State. Under the Representation of the People Act, 1950, the CEO is responsible for the preparation, revision, and correction of electoral rolls in the State, and the Election Commission of India has hosted the data as received, without any modification.

कृपया विधानसभा संख्या और नाम, मतदान केंद्र संख्या और नाम, पार्ट सीरियल नंबर जैसी जानकारीयों नोट कर लें।

अगर आपका नाम पहले से 2002 की SIR लिस्ट में है, तो किसी भी कागजात (documents) की ज़रूरत नहीं है। हालांकि, अगर नाम नहीं है, तो प्रोजेनी मैपिंग (progeny mapping) का इस्तेमाल करके अपनी एंट्री को परिवार के किसी करीबी सदस्य से जोड़ें (विस्तार के लिए Fig.1 देखें):

- a. पिता (Pita)
- b. माता (Mata)
- c. दादा (Dada)
- d. दादी (Dadi)
- e. नाना (Nana)
- f. नानी (Nani)

**केवल ये रिश्तेदार ही प्रोजेनी
मैपिंग (progeny mapping)
के लिए योग्य (eligible) हैं**

6. मतदाता सूची/गणना प्रपत्र की एक भरी हुई कॉपी BLO को लौटा दें और दूसरी कॉपी अपने पास सुरक्षित रखें।
7. BLO आपको एक पावती रसीद (Acknowledgement Receipt) देंगे—इसे संभालकर रखें, क्योंकि आगे किसी भी शिकायत या जांच के लिए यही मुख्य सबूत होगा।
8. अगर BLO आपके घर नहीं आते हैं, तो आप खुद पहल करके पास के स्पेशल कैंप जा सकते हैं या फॉर्म लेने और जमा करने के लिए सीधे AERO/ERO/BLO दफ्तर जा सकते हैं।
9. अगर आपका मतदाता सूची / गणना प्रपत्र नहीं बना है, तो अपने BLO/AERO/ERO को खत या ईमेल लिखकर शिकायत दर्ज कराएं।

ऑनलाइन मतदाता सूची / गणना प्रपत्र कैसे भरें (वेबसाइट voters.eci.gov.in के ज़रिए)

1. आप ऑनलाइन फॉर्म भरने का पूरा तरीका यहाँ समझ सकते हैं:

https://ceogoa.nic.in/pdf/SIR2026/SIR_PN10.pdf

2. अगर आपका मोबाइल नंबर पहले से आपके EPIC से जुड़ा हुआ है, तो OTP से लॉग-इन करें। अगर नंबर जुड़ा हुआ नहीं है, तो SIR फॉर्म भरने से पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म 8 भरकर अपना मोबाइल नंबर जोड़ना होगा। (अपने EPIC नंबर से फोन नंबर कैसे जोड़ें, यह देखने के लिए यह वीडियो देखें: <https://www.youtube.com/watch?v=a4ldA27t15I>)

3. ज़्यादा जानकारी के लिए, यहाँ दिए गए सवाल-जवाब (FAQs) देख सकते हैं:

https://ceodelhi.gov.in/PDFFolders/2026/FAQ_SIR2026.pdf

4. फॉर्म भरकर जमा करने के बाद, पावती रसीद (acknowledgement slip) अपने पास सुरक्षित रखें।

ड्राफ्ट लिस्ट और ड्राफ्ट लिस्ट के बाद का दौर

ड्राफ्ट लिस्ट और नोटिस लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक करें

ड्राफ्ट लिस्ट में अपना नाम यहाँ चेक करें:

<https://voters.eci.gov.in/download-eroll?stateCode=U05> (check Fig. 4)

(नोट: अगर आपका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है, तो अपना नाम नोटिस लिस्ट में चेक करें। आप दावा भी पेश कर सकते हैं - इसका तरीका पेज नंबर 18 पर देखें)

नोटिस लिस्ट में अपना नाम यहाँ चेक करें:

https://ceodelhinet.nic.in/ceodelhiweb/Notices_Issuedn.aspx (check Fig. 5)

((नोट: अगर आपका नाम नोटिस लिस्ट में है, तो आपको सुनवाई के लिए पेश होना होगा। इसका पूरा तरीका पेज नंबर 19, 20 पर देखें)

Electoral Roll

State *

NCT OF Delhi

Year Of Revision *

2026

Roll Type *

SIR DraftRoll - 2026

District

South

Assembly Constituency *

45 - MEHRAULI

Select Language *

ENGLISH

Captcha *



Enter Captcha

Download Selected PDFs

Search

Select All	Part No and Part Name
☐	1 - KUSUMPUR PAHARI
☐	2 - KUSUMPUR PAHARI
☐	3 - KUSUMPUR PAHARI

fig. 4

अपने पार्ट नंबर की ड्राफ्ट लिस्ट डाउनलोड करें। (नोट: कभी-कभी गणना के दौर के बाद आपका पार्ट नंबर अपडेट हो जाता है। अपने EPIC नंबर का इस्तेमाल करके इसे यहाँ चेक करें: <https://electoralsearch.eci.gov.in/>)

List of Persons to Whom Notices Have Been Issued

List of Persons to Whom Notices Have Been Issued

District NO. & NAME :	12 - SOUTH	AC NO. & NAME :	45 - MEHRAULI
SEARCH STATUS			
PART NUMBER	PART NAME	Download PDF	
1	KUSUMPUR PAHARI	Click Here	
2	KUSUMPUR PAHARI	Click Here	
3	KUSUMPUR PAHARI	Click Here	
4	KUSUMPUR PAHARI	Click Here	
5	KUSUMPUR PAHARI	Click Here	
6	KUSUMPUR PAHARI	Click Here	

MEDIA
CORNER

fig. 5

अपने पार्ट नंबर की ड्राफ्ट लिस्ट डाउनलोड करें। (नोट: कभी-कभी गणना के दौर के बाद आपका पार्ट नंबर अपडेट हो जाता है। अपने EPIC नंबर का इस्तेमाल करके इसे यहाँ चेक करें: https://ceodelhiweb/Notices_Issuedn.aspx)

सही फॉर्म चुनना

स्थिति	इस्तेमाल किया जाने वाला फॉर्म
नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है (दावा/Claim)	फॉर्म 6 + डिक्लेरेशन फॉर्म
किसी और का नाम गलत तरीके से शामिल है, या आपका नाम गलत तरीके से हटा दिया गया है	फॉर्म 7
नाम मौजूद है, लेकिन विवरण में कोई गलती है	फॉर्म 8

फॉर्म 6 का महत्व और ज़रूरी कागजात

फॉर्म 6 SIR प्रक्रिया में एक बहुत ही अहम फॉर्म है, क्योंकि इसी के ज़रिए कोई भी नया या छूटा हुआ योग्य नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकता है।

फॉर्म 6 की ज़रूरत कब होती है?

1. जब किसी वोटर का नाम न तो 2002 की पुरानी लिस्ट में मिले और न ही मौजूदा ECI पोर्टल पर।
2. जब कोई नया वोटर (जिसकी उम्र 18 साल हो चुकी है) पहली बार रजिस्ट्रेशन कराना चाहता हो।
3. जब कोई इंसान किसी दूसरे राज्य/इलाके से दिल्ली आकर रहने लगा हो और उसका पुराना वोटर ID किसी दूसरे राज्य का हो।
4. जब गणना के दौर (enumeration phase) में BLO वोटर तक न पहुँच पाए हों और तय समय तक मतदाता सूची / गणना प्रपत्र जमा न हो पाया हो—ऐसे मामलों में दावे और ऐतराज के समय सिर्फ फॉर्म 6 के ज़रिए ही आवेदन किया जा सकता है।

ज़रूरी कागजात (जब फॉर्म 6 की ज़रूरत हो)

- पते का सबूत / Residence Proof (कोई भी एक): आधार कार्ड, राशन कार्ड, बिजली/ पानी का बिल, किराएनामा (अगर किराएदार हैं)।
- पहचान / उम्र का सबूत (कोई भी एक): जन्म प्रमाण पत्र (Birth certificate), पुराना वोटर ID कार्ड (अगर दूसरे राज्य का हो), ड्राइविंग लाइसेंस, 10वीं की मार्कशीट/ सर्टिफिकेट।
- इसके अलावा एक पासपोर्ट साइज फोटो और अपना EPIC नंबर (अगर पहले से मौजूद हो) भी पास रखें।

दावे, ऐतराज और अपील की प्रक्रिया

दावे और ऐतराज का मतलब

- **दावा (Claim):** जब आपका या आपके परिवार के किसी सदस्य का नाम ड्राफ्ट लिस्ट में न हो, और आप उसे जुड़वाना चाहते हों।
- **सुधार (Correction):** जब नाम लिस्ट में मौजूद हो, लेकिन स्पेलिंग, पता, उम्र या फोटो गलत हो।
- **ऐतराज (Objection):** जब किसी ऐसे इंसान का नाम लिस्ट में हो जो वहाँ नहीं होना चाहिए (जैसे जिनकी मौत हो चुकी हो, जो पक्के तौर पर शिफ्ट हो गए हों, या जिनका दोहरा नाम हो), या फिर आपका नाम गलत तरीके से हटा दिया गया हो।

(तारीखें और समय सीमा पेज नंबर 4 पर देखें)

दावा या ऐतराज कैसे दर्ज करें

- **ऑनलाइन (Online):** voters.eci.gov.in पर लॉग-इन करें या ECINET app का इस्तेमाल करें, फॉर्म 6, 7 या 8 चुनें, जानकारी भरें, कागजात अपलोड करें और सबमिट कर दें। रेफरेन्स/पावती नंबर संभालकर रखें।
- **ऑफलाइन (Offline):** अपने BLO से मिलें (उनके पास खाली फॉर्म होते हैं) या ERO/AERO दफ्तर जाएं। फॉर्म भरें और अपने खुद के दस्तखत/अंगूठे वाले कागजात (self-attested documents) के साथ जमा कर दें (कागजातों की लिस्ट पेज नंबर 17, 19, 20 पर देखें)।

(**नोट:** ECI के नियमों के मुताबिक कोई भी अफसर आपसे नोटरी (*notarized copy*) या हलफनामा (*affidavit*) नहीं मांग सकता।) फॉर्म जमा लेते वक्त अधिकारी को आपके असली कागजातों से फोटोकॉपी का मिलान करना होगा और मौके पर ही 'जांचा गया और सही पाया गया' (*verified and found true*) मार्क करना होगा। पावती रसीद अपने पास सुरक्षित रखें।

नोटिस और सुनवाई

- दिल्ली में 97 लाख से ज़्यादा वोटर ड्राफ्ट लिस्ट में हैं, जिनमें से 33.13 लाख (3.313 मिलियन) लोगों को मतदाता सूची / गणना प्रपत्रों में "कमियों" (जैसे कि 2002 की लिस्ट से विवरण न मिलना) की वजह से नोटिस जारी किए गए हैं। नोटिस मिलने का मतलब नाम हटना नहीं है। ECI ने साफ किया है कि वोटर कागजात जमा करके नोटिस का जवाब दे सकते हैं। ERO/AERO के लिए नोटिस जारी करना, जांच करना, निष्पक्ष मौका देना और वाजिब वजह के साथ आदेश जारी करना ज़रूरी है। हर नोटिस के लिए दफ्तर जाना ज़रूरी नहीं है; सुनवाई का फैसला ERO सिर्फ खास मामलों में ही लेते हैं, और इसके लिए भी ऑनलाइन तरीका ही बेहतर माना जाता है।

सुनवाई के लिए ज़रूरी कागजात

- मूल नोटिस (Original Notice): आपके BLO द्वारा दी गई कागज की असली कॉपी या पोर्टल से प्रिंट की गई डिजिटल कॉपी।
- पावती रसीद (Acknowledgement Receipt): अगर आपने फॉर्म 6, 7 या 8 भरा है, तो रेफरेन्स नंबर वाली रसीद साथ लाएं।
- पासपोर्ट साइज फोटो: कम से कम दो हाल की रंगीन फोटो अपने पास रखें।
- परिवार का निवासी मैपिंग (Progeny Mapping) साबित करने के लिए अपने परिवार के सदस्यों (माता-पिता या दादा-दादी/नाना-नानी) के वोटर ID (EPIC) कार्ड।
- पुरानी मतदाता सूची में आपके माता-पिता या दादा-दादी/नाना-नानी के नाम की सरकारी जानकारी (जैसे कि 2002 की लिस्ट से विधानसभा नंबर, पार्ट नंबर और सीरियल नंबर, जिसे ढूंढने में आपके BLO मदद कर सकते हैं)।
- राज्य या स्थानीय स्व-शासन अधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर का एक्सट्रैक्ट (Family Register Extract)।
- मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (अगर कमी या नाम में बदलाव शादी की वजह से हुआ है)।
- केंद्र सरकार, राज्य सरकार या PSU के किसी नियमित कर्मचारी या पेंशनभोगी को जारी किया गया कोई भी सरकारी पहचान पत्र।
- जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate): जो नगर पालिका प्राधिकरण (municipal authority) या रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया हो।
- 10वीं (मैट्रिकुलेशन) या 12वीं की पास सर्टिफिकेट / मार्कशीट: जिसमें आपकी जन्म तिथि लिखी हो।
- भारतीय पासपोर्ट (Indian Passport)
- PAN कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस
- आधार कार्ड / लेटर: जो UIDAI द्वारा जारी किया गया हो।

सुनवाई के लिए ज़रूरी कागजात

- यूटिलिटी बिल (Utility Bills): उस पते का बिजली, पानी, टेलीफोन या गैस कनेक्शन का बिल।
- बैंक या पोस्ट ऑफिस की पासबुक: किसी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक या डाकघर की चालू पासबुक।
- रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट (किराए पर रहने पर) या रजिस्टर्ड सेल डीड (घर का मालिक होने पर)।
- सरकारी आवंटन प्रमाण पत्र (Government Allotment Certificate): राजस्व विभाग (Revenue Department) के ज़मीन के कागजात या सरकार द्वारा जारी किया गया मकान आवंटन पत्र।

अपील

- अगर ERO का फैसला आपके खिलाफ जाता है (जैसे कि आपका दावा खारिज कर दिया जाता है या नाम हटा दिया जाता है), तो आप जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (Representation of the People Act, 1950) की धारा 24 के तहत पहले जिला मजिस्ट्रेट (DM) और फिर मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के पास अपील कर सकते हैं।

स्तर (Level)	अधिकारी (Authority)	समय सीमा (Time Limit)
पहली अपील (First Appeal)	जिला मजिस्ट्रेट (DM) / जिला निर्वाचन अधिकारी	ERO के आदेश के 15 दिनों के भीतर
दूसरी अपील (Second Appeal)	मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO), दिल्ली	DM के आदेश के 30 दिनों के भीतर

ऑनलाइन अपील

चरण 1: डिजिटल लॉगिन और सत्यापन

1. वेबसाइट <https://voters.eci.gov.in> पर जाएं।
2. लॉग-इन करें: अपीलकर्ता अपने पंजीकृत (registered) मोबाइल नंबर, ईमेल ID या वोटर ID (EPIC) नंबर के ज़रिए OTP वेरिफिकेशन करके लॉग-इन करें।
3. मामला ढूंढें: "Order के खिलाफ Appeal" (Appeal Against Order) डैशबोर्ड को चुनें। अपीलकर्ता शुरुआती आवेदन का रेफरेन्स नंबर या सुनवाई के दौरान जारी किया गया नोटिस रेफरेन्स नंबर दर्ज करें। सिस्टम अपने आप ERO के डैशबोर्ड से इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड निकाल लेगा।

चरण 2: ऑनलाइन याचिका (Petition) तैयार करना

1. अपील के आधार (Grounds of Appeal): अपीलकर्ता को एक बॉक्स दिया जाएगा जहाँ उन्हें ERO के फैसले के खिलाफ अपील करने की खास वजहें लिखनी होंगी।
2. पूरा विवरण देना (Contextual Narrative): उन्हें यह समझाना होगा कि ERO का लिखित आदेश तथ्यों या कानून के हिसाब से कैसे गलत था (जैसे: "ERO के आदेश में लिखा है कि पते का सबूत अधूरा था, जबकि असली कागजातों के साथ एक सही रजिस्टर्ड किराएनामा जमा किया गया था")।

चरण 3: ज़रूरी कागजात जोड़ना

सिस्टम निम्नलिखित कागजातों की साफ स्कैन कॉपी (PDF या JPEG फॉर्मेट, अधिकतम 2MB प्रति फाइल) अपलोड किए बिना सबमिट करने की इजाजत नहीं देगा:

- ERO/AERO द्वारा जारी किया गया खिलाफ फैसला/आदेश
- योग्यता का मुख्य सबूत (Eligibility Evidence): जो शुरुआती सुनवाई के दौरान विवादित था (जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, या अपडेट की गई बैंक पासबुक)।

चरण 4: डिजिटल सबमिशन और ट्रैकिंग

1. सबमिट करें: अपील को पक्का करने के लिए "Submit" पर क्लिक करें।
2. पावती रसीद (Acknowledgement Generation): पोर्टल तुरंत एक अनोखा अपील रेफरेन्स ID (Appeal Reference ID) बना देगा।
3. ट्रैकिंग: स्टेटस अपने आप बदलकर "DEO के पास अपील पेंडिंग है" (Appeal Pending with DEO) हो जाएगा। अपीलकर्ता पोर्टल या वोटर हेल्पलाइन ऐप के ज़रिए समय-समय पर अपनी स्थिति (real-time progress) को ट्रैक कर सकते हैं।

ऑफलाइन अपील

चरण 1: अपील याचिका की तैयारी

अपीलकर्ता को खुद हाथों से एक अपील याचिका तैयार करनी होगी (जो अक्सर सादे कागज पर या क्षेत्रीय निर्धारित प्रारूप/फॉर्मेट में लिखी जाती है)। गाइडबुक इस्तेमाल करने वालों को यह पक्का करना चाहिए कि याचिका में ये बातें साफ़ तौर पर लिखी हों:

- सेवा में (To): जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO) / जिला मजिस्ट्रेट (DM) का कोर्ट।
- विषय (Subject Line): जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 24 के तहत अपील।
- विवरण (Details): अपीलकर्ता का नाम, उम्र, वोटर ID (EPIC) नंबर (अगर मौजूद हो), और पूरा रिहाइशी पता।
- घटनाक्रम/तथ्य (Statement of Facts): सिलसिलेवार तरीके से पूरा विवरण कि फॉर्म कब जमा किया गया था, सुनवाई के दौरान क्या हुआ, और ERO का फैसला अन्यायपूर्ण क्यों है।

चरण 2: कागजी फाइल/डॉक्यूमेंट तैयार करना

कागजी याचिका (physical petition) के साथ निम्नलिखित कागजात पेपर-क्लिप करके संलग्न/अटैच किए जाने चाहिए:

- ERO के लिखित आदेश की प्रमाणित कॉपी (Certified Copy): जो ERO दफ्तर से physically हासिल की गई हो।
- उम्र, पहचान या पते के सभी सहायक सबूतों की फोटोकॉपी।
- ERO/AERO द्वारा जारी किया गया खिलाफ फैसला/आदेश (Adverse Speaking Order)।
- योग्यता का मुख्य सबूत (Eligibility Evidence): जो शुरुआती सुनवाई के दौरान विवादित था (जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, या अपडेट की गई बैंक पासबुक)।

चरण 3: जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा करना

1. फाइल जमा करना (Filing): अपीलकर्ता को स्थानीय कलेक्ट्रेट / जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के भीतर चुनाव शाखा (Electoral Branch) में जाना होगा।
2. कागजातों की जांच (Verification Check): जमा लेने वाला क्लर्क यह पक्का करने के लिए शुरुआती जांच करेगा कि ERO का लिखित आदेश साथ लगा है या नहीं और अपील आदेश की तारीख से 15 दिनों की कानूनी समय सीमा के भीतर दायर की जा रही है या नहीं।
3. हाथों-हाथ रसीद पाना (Manual Receipt): दफ्तर याचिका पर मोहर लगाएगा, दस्तखत करेगा और एक इनवर्ड सीरियल नंबर वाली भौतिक पावती रसीद (Physical Acknowledgement Receipt) हाथों-हाथ सौंपेगा।

ऑफलाइन अपील

चरण 4: ECI NET सिस्टम में एंट्री

1. डेटा एंट्री (Data Entry): DEO दफ्तर का तय क्लर्क खुद सिस्टम में बैकएंड ECI NET प्लेटफॉर्म पर फिजिकल फाइल की एंट्री करेगा।
2. डिजिटल कोड जनरेट होना (Digital Generation): इससे एक सिस्टम-जनरेटेड रेफरेंस कोड बनेगा जो ऑफलाइन फाइल को केंद्रीय डेटाबेस से जोड़ देगा। इसके बाद अपीलकर्ता के मोबाइल फोन पर एक ऑटोमेटिक SMS आएगा, जिससे यह पक्का हो जाएगा कि मामला आधिकारिक तौर पर अपील सिस्टम में दर्ज हो चुका है।

चरण 5: अपील की सुनवाई और फैसला (ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के लिए समान)

दोनों में से किसी भी तरीके से आवेदन जमा करने के बाद, अपील की प्रक्रिया एक ही तय तरीके से आगे बढ़ती है:

1. अपील सुनवाई का नोटिस (Notice of Appellate Hearing): DEO दफ्तर एक औपचारिक नोटिस जारी करेगा, जिसमें अपील की सुनवाई के लिए एक तय तारीख, समय और तरीका (दफ्तर का कमरा या वर्चुअल लिंक) बताया जाएगा।
2. समीक्षा (The Review): DEO (या पहले अपील अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए अतिरिक्त DEO) ERO की केस फाइल और नागरिक द्वारा दी गई नई दलीलों की एक साथ समीक्षा करेंगे।
3. अंतिम फैसला:
 - अगर DEO अपील खारिज कर देते हैं: तो नागरिक के पास राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के पास अपील करने के लिए 30 दिनों का समय होता है। CEO का फैसला ही अंतिम प्रशासनिक फैसला माना जाता है।
 - अगर DEO अपील स्वीकार कर लेते हैं: तो ECI NET के ज़रिए सीधे ERO के डैशबोर्ड पर एक सिस्टम कमांड भेजा जाता है। इसके बाद ERO कानूनी रूप से पिछली अस्वीकृति को रद्द करने, डिजिटल रिकॉर्ड को अपडेट करने और नागरिक का नाम अंतिम, संशोधित मतदाता सूची में शामिल करने के लिए बाध्य होता है।

अन्य जानकारी

शिकायत और सहायता के लिए हेल्पलाइन और पोर्टल

- वोटर हेल्पलाइन नंबर (Voter Helpline Number): 1950 (टोल-फ्री: 1800-11-1950), रोजाना सुबह 8:00 बजे से रात 8:00 बजे तक हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है।
- SMS सुविधा (SMS Facility): 1950 पर SMS भेजें, जिसमें अपने वोटर ID (EPIC) नंबर को ऐसे लिखें: ECI [आपका EPIC नंबर] (जैसे: ECI 12345678)।
- शिकायत के लिए ईमेल (Complaint Email): complaints@eci.gov.in
- राष्ट्रीय शिकायत सेवा पोर्टल (NGSP): ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें और उसे ट्रैक करें।
- 'BLO के साथ कॉल बुक करें' (Book-a-Call with BLO): अपने BLO के साथ सीधी कॉल का समय तय करने के लिए ECINET प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। ECI के नियमों के मुताबिक, ऐसी शिकायतों का निपटारा 48 घंटे के भीतर किया जाना ज़रूरी है।
- वोटर हेल्पलाइन ऐप (Voter Helpline App): शिकायत दर्ज करने के लिए Android/iOS पर उपलब्ध है।

डिजिटल सुविधा न होने वालों के लिए

अगर कोई इंसान खुद वेबसाइट या ऐप का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, तो वह सीधे अपने इलाके के BLO से मिल सकता है (जिन्हें घर-घर जाकर फॉर्म इकट्ठा करने के लिए ही तैनात किया गया है), या अपने फॉर्म के साथ ज़रूरी कागजात जमा करने के लिए पास के SDM दफ्तर या चुनाव कैंप में जा सकता है। इसके अलावा 1950 हेल्पलाइन पर कॉल करके हिंदी में भी मदद ली जा सकती है, जहाँ फोन पर ही आगे के कदमों की जानकारी दे दी जाएगी।

अन्य जानकारी

EPIC विवरण, और BLO/ERO के संपर्क सूत्र (Contacts) कैसे ढूँढ़ें

आप ECI इलेक्टोरल सर्च पोर्टल (Electoral Search Portal) का इस्तेमाल करके अपने और अपने परिवार का विवरण ढूँढ़ सकते हैं।

- पहला तरीका (EPIC नंबर के ज़रिए): सर्च करने के लिए अपना EPIC नंबर और सुरक्षा कोड (security code) दर्ज करें। आपका विवरण सामने आ जाएगा, जिससे आप अपना पार्ट नंबर और अन्य जानकारी देख सकते हैं। यह आपके पार्ट और इलाके के हिसाब से सभी विवरण देता है, जिससे आप सीधे BLO और ERO से संपर्क कर सकते हैं।
- अन्य तरीके: अगर आपको अपने EPIC नंबर का इस्तेमाल करके विवरण नहीं मिलता है, तो आप लिंक किए गए मोबाइल नंबर जैसे अन्य विकल्पों का इस्तेमाल करके भी जांच सकते हैं।



अभी हमारा काम पहचान (identity) के आधार पर होने वाले भेदभाव और हिंसा के खिलाफ है। हमारा मानना है कि हिंसा और भेदभाव की हर घटना समाज के बने-बनाए ढाँचे से जुड़ी है। जब व्यवस्था के सताए हुए लोग और समुदाय खुद बदलाव की लड़ाई की अगुवाई करते हैं, तब संविधान उनके लिए न्याय और समानता पाने का एक मज़बूत ज़रिया बन सकता है।

हम ज़मीनी हकीकत से जुड़ी और मिली-जुली समझ के साथ काम करते हैं, जहाँ ज़मीनी अनुभव से अध्ययन (research) बेहतर होता है और अध्ययन से ज़मीनी काम को दिशा मिलती है। कानूनी मदद, ट्रेनिंग, रिसर्च और पैरवी (advocacy) के ज़रिए, हम कम्युनिटी संस्थाओं और हिंसा से प्रभावित लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं, ताकि न्याय, गरिमा और जवाबदेही की उनकी लड़ाई को मज़बूती मिल सके।

यह गाइडबुक एक स्वतंत्र प्रकाशन (publication) है और इसका दिल्ली सरकार से कोई संबंध या जुड़ाव नहीं है।

Part III के दफ्तर नई दिल्ली और पटना में हैं।

हमारे काम के बारे में और जानने के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं:
www.part-three.org